भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 2475
(सोमवार, 15 दिसंबर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

व्यापार करने में सुगमता

2475. श्री गणेश सिंहः

क्या **कारपोरेट मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2014 से देश में व्यापार करने की सुगमता को सुदृढ़ करने के लिए कोई विशिष्ट पहल, नीतियाँ गा सुधारात्मक उपाग किए हैं;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) कंपनी पंजीकरण, अनुपालन प्रक्रियाओं के सरलीकरण, निवेश वातावरण में सुधार आदि के संदर्भ में उक्त नीतियों और योजनाओं के कार्यान्वयन से अब तक क्या ठोस परिणाम या प्रभाव प्राप्त हुए हैं,
(घ) क्या सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता या अन्य तकनीकी नवाचारों के माध्यम से कारपोरेट प्रशासन और निगरानी प्रणालियों के आधुनिकीकरण के लिए कोई पहल की है; और
(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) से (ख): जी हां, सरकार ने 2014 से देश में व्यवसाय करने में सुगमता को मजबूत करने के लिए विशिष्ट पहल और नीतियां शुरू की हैं, जैसे:

(i) उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा 2014 में शुरू की गई व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) का उद्देश्य बाधाओं को

कम करना और मंजूरी और नियामक प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाना है, जिससे व्यवसायों के लिए समय और लागत में कमी आती है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का मूल्यांकन जमीनी स्तर पर प्रभावी सुधार सुनिश्चित करने के लिए साक्ष्य और उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया के आधार पर किया जाता है। अब तक बीआरएपी के सात संस्करण पूरे हो चुके हैं।

(ii) 2015 और 2017 में कंपनी अधिनियम, 2013 (सीए-13) में संशोधन किए गए हैं ताकि व्यवसाय करने की सुगमता को सुविधाजनक बनाया जा सके और उद्योग मंडलों और अन्य हितधारकों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को दूर किया जा सके।

(iii) तकनीकी और प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए 2019 और 2020 में सीए-13 में संशोधन किए गए हैं और इस प्रकार आपराधिक अदालतों और राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) पर बोझ को कम किया गया है। उनका उद्देश्य छोटी कंपनियों, एकल व्यक्ति कंपनियों, स्टार्ट-अप और निर्माता कंपनियों के लिए अनुपालन आवश्यकताओं को सुव्यवस्थित करना भी था।

(iv) तकनीकी और प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए सीमित देयता भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2021 में संशोधन किए गए हैं। छोटे व्यवसायों के औपचारिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए अनुपालन बोझ को कम करने और कम शुल्क प्रदान करने के लिए "लघु एलएलपी" की एक नई श्रेणी स्थापित की गई थी।

(v) कंपनी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों से निजी कंपनियों, सरकारी कंपनियों, धर्मार्थ कंपनियों, निधि और आईएफएससी (गिफ्ट सिटी) कंपनियों को 2015, 2017 और 2020 के दौरान सीए-13 की धारा 462 के तहत अधिसूचना जारी करके छूट प्रदान की गई है।

(vi) 15.00 लाख रुपये तक की अधिकृत पूंजी के साथ कंपनी के निगमन के लिए कोई शुल्क नहीं है।

(vii) भारतीय सार्वजनिक कंपनियों द्वारा अनुमेय विदेशी क्षेत्राधिकार में प्रतिभूतियों को प्रत्यक्ष लिस्टिंग की अनुमति दी गई है। यह "ब्रांड इंडिया" को बढ़ावा देता है और बढ़ते प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए आकर्षण बढ़ाता है, दक्षता और विकास को प्रोत्साहित करता है, पूंजी का वैकल्पिक स्रोत प्रदान करता है और निवेशक आधार को व्यापक बनाता है।

(viii) फास्ट-ट्रैक विलय के दायरा फरवरी 2021 में में विस्तारित किया गया था ताकि स्टार्ट-अप को अन्य स्टार्ट-अप और छोटी कंपनियों के साथ विलय की हो सके। सितंबर 2025 में इसके दायरे को और बढ़ा दिया गया है ताकि कंपनियों के

अधिक वर्गों को इस मार्ग को चुनने की अनुमति मिल सके। नियमों में भी संशोधन किया गया है ताकि फास्ट-ट्रैक विलय के लिए "डीम्ड अप्रूवल" आवश्यकता को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

(ix) केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी) को 2016 में निगमन से संबंधित सेवाओं को त्वरित करने के लिए चालू किया गया था। कंपनी के निगमन के समय व्यवसाय तत्काल शुरू करने के लिए नाम आरक्षण, निगमन, पैन, टैन, डीआईएन, ईपीएफओ पंजीकरण, ईएसआईसी पंजीकरण, जीएसटी संख्या, बैंक खाता खोलना आदि जैसी विभिन्न सेवाएं एक ही स्थान पर प्रदान करने के लिए लिंक किए गए एजाइल प्रो-एस प्ररूप के साथ एक ई-प्ररूप एसपीआईसीई+ शुरू किया गया था। इसी तरह, एलएलपी के लिए नया ई-प्ररूप एफआईएलआईपी (सीमित देयता भागीदारी के निगमन के लिए प्ररूप) पेश किया गया था।

(x) सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलेरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट (सी-पेस) की स्थापना मई 2023 में की गई थी, जो हितधारकों को रजिस्टर से अपनी कंपनियों और एलएलपी के नाम हटाने के लिए परेशानी मुक्त फाइलिंग, समय पर और प्रक्रियाबद्ध स्ट्राइक-ऑफ प्रदान करके सक्षम बनाता है।

(xi) केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) की स्थापना फरवरी 2024 में 12 गैर-एसटीपी रूपों के केंद्रीकृत प्रसंस्करण के लिए की गई थी।

(xii) कंपनी (दंड का अधिनिर्णयन) नियम, 2014 को अगस्त 2024 में संशोधित किया गया है, जिसके अनुसरण में यह प्रावधान किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 454 के तहत न्यायनिर्णयन कार्यवाही इस उद्देश्य के लिए मंत्रालय द्वारा विकसित ई-एडजुडिकेशन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगी। यह प्लेटफॉर्म अद्ध्योपांत डिजिटल प्रक्रिया प्रदान करता है जिसमें ऑनलाइन नोटिस तैयार करना, सुनवाई, न्यायनिर्णयन आदेश और भुगतान तैयार करना शामिल है। इससे पारदर्शिता बढ़ती है और त्वरित न्यायनिर्णयन संभव बनाता है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने जीवन यापन की सुगमता और व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ाने के लिए और अधिक गैर-अपराधीकरण करने पर ध्यान केंद्रित किया है। इसमें जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 शामिल है, जिसने 42 केंद्रीय अधिनियमों में 183 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। अनुपालन बोझ को कम करने की पहल के तहत, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र ने सरलीकरण, डिजिटलीकरण, गैर-अपराधीकरण और अतिरेक हटाने के माध्यम से स्व-पहचान अभ्यासों द्वारा 47,000 से अधिक अनुपालनों को सफलतापूर्वक कम कर दिया है।

(ग): 31 मार्च, 2014 तक देश में 9,52,433 सक्रिय कंपनियां थीं। 31 मार्च**,** 2025 को सक्रिय कंपनियों की संख्या 18,50,932 थी। इससे पता चलता है कि ऊपर सूचीबद्ध पहलों के कारण सक्रिय कंपनियों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है, जो अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

(घ) और (ङ): एमसीए21 वी3 में प्रवर्तन और अनुपालन मॉड्यूल सहित डेटा एनालिटिक्स-संचालित विशेषताओं को एकीकृत किया गया है। इनमें पूर्व चेतावनी प्रणाली और अनुपालन प्रबंधन प्रणाली शामिल हैं जो कंपनियों और फाइलिंग के जोखिम-आधारित वर्गीकरण का उपयोग करती हैं, अलर्ट की स्वचालित सृजन, अपवाद रिपोर्ट, गैर-अनुपालन के पैटर्न विश्लेषण का उपयोग करती हैं।

******